

# 11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

E-Mail:- dfo\_badrinath\_uta@yahoo.co.in Phone No.: - 01372-252175

पत्रांक: 1133

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त

20

/ 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिमर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से ग्राम कोलाङ्गी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु चर्चा के सम्बन्ध में।(Online No- FP/UK/ROAD/146204/2021).

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून से प्राप्त ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 02.08.2023 .

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 29.05.2023 को हुयी एफ0आर0सी0एस0 बैठक में चाही गयी आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर चमोली की पत्र सं0 1248 / 01सी0वन दिनांक 03.08.2023 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है:-

| क०सं0 | भारत सरकार द्वारा चाही सूचना   | चाही गई आख्या  |
|-------|--|--|
|       | <p>The Proposal was discussed in detail with the project proponent and the concerned DFO, It was noted that the case was noted that the case was also discussed in the FRCM held on 25-11-2022 Although a reply was submitted in this response, It appears that the proposal was not assessed according to the decision taken in the FRCM, During the meeting, the KML file was reviewed, and it was observed that the village is already near the existing road if, further connectivity to the village is still necessary, the State Government may propose a road from the northern side of the village, requiring lesser dense forest and affecting lesser number of tree. However, the User Agency has provided a Justification that the farmers are unwilling to give their land in the stretch, which could not be an acceptable justification for fragmenting the dense forest, After the discussion, it was decided that the State Government, if required may submit the revise proposal form northen side of the village as the proposed alignment is not found to be acceptable.</p> | <p>अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार लाभान्वित होने वाले गांव कोलाङ्गी को उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊपर स्थित कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से गांव को जोड़ने हेतु दो विकल्प हो सकते हैं के सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-</p> <p><b>विकल्प 1-</b> ग्राम विडोली से- पूर्व में इस गांव से ग्राम कोलाङ्गी को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग की स्वीकृति मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 2480 / 2015 के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम विडोली, जो कि पहले से ही कर्णप्रयाग-नैनीसैण मोटर मार्ग पर स्थित है द्वारा लम्बे समय तक घोर विरोध करने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं हो पायी। जिसके बाद क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर लाभान्वित होने वाले गांव कोलाङ्गी को डिमर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 06 से जोड़ने हेतु फरवरी 2016 में स्वीकृति प्राप्त हुई, जिससे उक्त राजस्व ग्राम कोलाङ्गी को मोटर मार्ग से समायोजित किया जा सके। अतः विडोली से लाभान्वित होने वाले गांव कोलाङ्गी को मार्ग निर्माण करना संभव नहीं है।</p> <p><b>विकल्प-2</b> ग्राम फलोटा से- जैसा कि डिजिटल मैप आदि में देखा जा सकता है, कि ग्राम फलोटा लाभान्वित होने वाले गांव कोलाङ्गी के ठीक ऊपर स्थित है तथा उक्त भू-भाग का ढाल लगभग 450 है तथा यह ढाल भी बहुत कम चौड़ाई में है जो गांव कोलाङ्गी के ऊपर अधिकतम है एवं ग्राम फलोटा तक चौड़ाई कम हो गयी है उक्त भू-भाग के दोनों ओर तीव्र ढाल वाले भू-भाग हैं। जिसमें मार्ग निर्माण करना ना तो आर्थिक दृष्टि से ना ही पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, उक्त मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु में ग्राम फलोटा ग्राम की सिंचित भूमि आ रही है उक्त गांव पूर्व में ही कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से</p> |

जुड़ा होने के कारण ग्रामवासी अपनी भूमि देने को तैयार नहीं हैं, (विरोध पत्र संलग्न) आपके सुझाव के अनुसार ऊपर से उक्त मार्ग के निर्माण पर कई हेयर पिन बैंड की आवश्यकता होगी, जिससे मार्ग को एक आर्म के ऊपर दूरी आर्म बनने से इस मार्ग से दोनों गांवों को सदैव खतरा बना रहेगा। अवगत कराना है कि यदि एच०पी० बैंड की त्रिज्या मानकानुसार न्यूनतम् 12मी० पर मार्ग निर्माण करते हैं तो प्रत्येक एच०पी० बैंड पर कम से कम 31.5मी० भूभाग कटिंग के कारण प्रभावित होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में मलबा निकलेगा। जिसका एक नकारात्मक प्रभाग पर्यावरण पर पड़ेगा। अतः महोदय ग्राम फलोटा की ओर से मार्ग निर्माण किया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त कारणों से भी क्षेत्रवासी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित संरेखण पर ही स्वीकृति हेतु आग्रह कर रहे हैं, उक्त मोटर मार्ग के संरेखण पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण द्वारा भी अपनी संस्तुति दी गयी है।

1— लाभान्वित होने वाला गांव एक राजस्व ग्राम है जो कि आतिथि तक मोटर मार्ग पहुंच से वंचित है।

2— ग्राम सभा कोलाडुंग्री का जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री एवं प्राथमिक विद्यालय कोलाडुंग्री ग्राम समूल्ता में स्थित है उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पहुंचन में सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोड़ा जाना Obelignatory point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा।

3— लाभान्वित गांव का मुख्य बाजार सिमली है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 109 गुजरता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गांव मात्र 8 किमी० में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग – नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी लगभग 17 किमी० एवं सिमली की दूरी 24 किमी० आयेगी।

4— लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्ता एवं बांगड़ी आते हैं तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम समूल्ता एवं ग्राम बांगड़ी के मतदाताओं विशेषकर बृद्ध एवं दिव्यांग जनों को मतदेय स्थल पर पहुंचने में सुविधा होगी।

5— लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता विशेष कर बृद्ध व्यापत्तियों एवं द्विव्यागों को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट ऑफिस पहुंचने में सुविधा प्राप्त होगी।

6— प्रस्तावित संरेखण में कुल 121 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनमें से 118 वृक्ष चीड़ प्रजाति के हैं। तथा प्रस्तावित मोटर मार्ग एक विरल क्षेत्र से होकर गुजर रहा है।


प्रस्तुत केंद्रों फाईल में गांव को सड़क से जोड़ने हेतु जो संरेखण प्रस्तावित किया गया है वह अभी भी गांव को नहीं जोड़ रहा है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को ग्रामीणों के आपत्ति के आधार पर सिंचित खेत से पहले रोक दिया गया है, (ग्रामीणों एवं सम्बन्धित कास्तकारों का आपत्ति पत्र संलग्न है) इस बिन्दु से गांव के प्रारम्भिक भाग की दूरी लगभग 250मी० है तथा लगभग समान लेवल/समतल पर है जहां से लाभान्वित गांव कोलाडुंगी को पंदुच सुलभ है एवं ग्रामीणों को उक्त मार्ग को प्रस्तावित संरेखण पर निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अवगत कराया गया है कि उक्त गांव को ऊपर स्थित कर्णप्रयाग—नैनीसैण मोटर मार्ग से जोड़ने के आप के सुझाव के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ग्राम प्रधान कोलाडुंगी को अनापत्ति प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा खुली बैठक आयोजित कर उक्त मार्ग का निर्माण प्रस्तावित संरेखण पर ही करने हेतु आग्रह किया गया है अन्य किसी संरेखण पर क्षेत्रवासी सहमत नहीं है तथा प्रस्तावित संरेखण पर मार्ग निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गौचर द्वारा पूर्व में प्रस्तावित संरेखण पर ही यन भूमि स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुनः विचार हेतु लिखा गया है, उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रस्ताव को अपने स्तर से उच्च स्तर अग्रसारित करने की कृपा करें।


संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:— 1133 / 12 दिनांकित।

प्रतिलिपि:— अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

१० दिनांक

कृष्णार्थ छात्राचासी की गता  
कानूनी नियमों के विभाग

१०१-वर - विवेक

लिखित:- कानूनी भौति भौति मार्ग नियमों के सम्बन्ध में

महोदय

कानूनी भौति की जानता आपसे पुनः निवेदन  
करती है कि मार्ग नियम सब कार्य जो नियमानुसारा  
किया गया है कुनै सम्बन्धमें इन सहभातु हैं  
साथ ही जो सिविल भूमि व दूसरे के सम्बन्ध में किया  
जाना भूव पदों पर एवं इनका उपयोग कराया जाए

गति है

जूतों पुनः सैल की जानता निवेदन करता है  
कि साम्बन्धित मार्ग नियम सब की नियमानुसारा कराया  
है। इस पर छात्री को आपनी नवीनी हाथ साथ है।  
जो दूसरी व सिविल भूमि का अवलोकन है कि सम्बन्ध में  
निवेदन कि कुनै सब स्थान से गम्भीर विभाग  
जनक पड़ता है जो तथा कुनै स्थान से यदि विभाग  
जापन्ता मार्ग नियम चाहगा हो इस पर क्षमता काइ  
जापन्ता नहीं होगा।

मुद्रित

समस्त अधिकारी ग्रामकोलोडी

मव

मुद्रित

उम्मीदवाली कानूनी

साइट शामिल

कानूनी मुद्रित

प्रयोग कानूनी मुद्रित

दिनांक १००५२३

\* दिनांक १००५२३

लग्न कर्तव्यान् विवेक नियम संपर्क लोनिया

अभियन्ता

गोप्ता

कुपुरु जू

प्रियोग कानूनी मुद्रित

मान्यता कानूनी मुद्रित

प्रियोग कानूनी मुद्रित

मान्यता कानूनी मुद्रित

प्रियोग कानूनी मुद्रित

प्रियोग कानूनी मुद्रित

प्रियोग कानूनी मुद्रित

- ५ - प्रेमलिंग तोपांडु - ~~↑ + jas~~  
 ६ - जीतोन्हु तोपांडु - ~~↑ + jas~~  
 ७ - प्रभान्त रावत - प्रभान्त  
 ८ - महिपाल - रावत - ~~↑ + jas~~  
 ९ - माजनवंडु डिमिनी - माजनवंडु  
 १० - उम्मीर तोपांडु - ~~↑ + jas~~  
 ११ - सुरेन्द्र तोपांडु - ~~↑ + jas~~  
 १२ - प्रभोद रावत - ~~↑ + jas~~ नोभला देवी  
 १३ - नम्मता देवी - तोपांडु -  
 १४ - निम्माना देवी तोपांडु - ~~↑ + jas~~  
 १५ - उत्तरादेवी अपलिमांडु - ~~उ-प-रा-दे-वी~~  
 १६ - शुभादेवी देवी तोपांडु - शुरनीला देवी  
 १७ - शारदा देवी तोपांडु - ~~Ashut~~  
 १८ - द्यामा कैवी रावत - दीमा कैवी  
 १९ - रामेश्वरी देवी अपलिमांडु - रामेश्वरी कैवी  
 २० - ऊँचू कैवी रावत - ऊँचू कैवी  
 २१ - दर्भन सिंह रावत - ~~दर्भन सिंह~~  
 २२ - काटा बदलनम थानिमांडु - ~~का-टा ब-दल-नम था-नि-मा-ंडु~~  
 २३ - गद्धवीर सिंह रावत - ~~ग-द्धवीर सिंह~~  
 २४ - चिठ्ठुपांडु तोपांडु - ~~च-ठुपा-ंडु~~  
 २५ - हुआमासिंह तोपांडु - ~~ह-आ-मा-सि-ंह~~ ~~↑ + jas~~
- नोभला देवी  
 निम्माना देवी  
 ऊँचू कैवी